तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.120/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
14.12.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (मयंक पुत्र श्री ओमप्रकाश जी बाकलीवाल, विक्रेता, फर्म पूर्णिमा डेयरी, सब्जी मण्डी सरकारी अस्पताल के पास, आबूरोड़, जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या–2 (ओमप्रकाश बाकलीवाल, प्रोपराईटर एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म पूर्णिमा डेयरी, सब्जी मण्डी सरकारी अस्पताल के पास, आबूरोड़, जिला– सिरोही) अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 07.12.2022 को फर्म पूर्णिमा डेयरी, सब्जी मण्डी सरकारी अस्पताल के पास, आबूरोड़, जिला– सिरोही में विक्रेता मयंक पुत्र श्री ओमप्रकाश बाकलीवाल (प्रतिवादी संख्या–1) से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा डेयरी) का नमूना संख्या S-1937 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./2016/ Act/2022/2017 दिनांक 19.12.2022 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में सुनवाई तिथि 01.12.2023 को प्रतिवादीगण उपस्थित हुए एवं लिखित जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार करते हुए प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादीगण को दिनांक 01.12.2023 को ही सुना गया, जिन्होनें अनुरोध किया कि यह उनका प्रथम अपराध है एवं उन्होनें घी में कोई मिलावट नही की है। भविष्य में अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय नही करेंगे। अतः प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 07.12.2022 को फर्म पूर्णिमा डेयरी, सब्जी मण्डी सरकारी अस्पतला के पास, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी मयंक पुत्र ओमप्रकाश बाकलीवाल से पूर्णिमा डेयरी के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा डेयरी) के 100 पैक्ड जार (प्रत्येक 200 एम.एल.) में से [illegible] घी (पूर्णिमा डेयरी) के 4 पैक्ड जार (प्रत्येक 200 [illegible]) [illegible] खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 [illegible] हेतु कीमतन क्रय कर ......जार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:15:11 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही–307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.120/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा डेयरी) के नमूना संख्या S-1937 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./2016/Act/2022/2017 दिनांक 19.12.2022 के अनुसार अमानक (sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह स्पष्ट है कि पूर्णिमा डेयरी, सब्जी मण्डी सरकारी अस्पताल के पास, आबूरोड़ द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा डेयरी) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पूर्णिमा डेयरी के प्रोपराईटरी प्रतिवादी संख्या–2 (ओमप्रकाश बाकलीवाल) है। **आदेश** अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 विरुद्ध प्रतिवादी संख्या–2 (ओमप्रकाश बाकलीवाल) स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या–1 (मयंक) को दोषमुक्त किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा डेयरी) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी ओमप्रकाश बाकलीवाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म पूर्णिमा डेयरी, सब्जी मण्डी सरकारी अस्पताल के पास, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 15,000/– (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी ओमप्रकाश बाकलीवाल को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 20.01..2024 को पेश हो। Signature Not Verified Digitally signed by Bhaskar Bishnoi Date: 2024.01.30 17:15:11 IST Reason: SelfAttested (डॉ. भास्कर बिश्नोई) अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)